2. अध्याय

साहित्य पुनरावलोकन

2.1-परिचय

पिछले अध्याय में शोध के परिचय, शीर्षक, शोध के उद्देश्य, शोध प्रश्न एवं शोध विधि को शामिल किया गया हैl इस अध्याय में शोध से संबंधित साहित्य पुनरावलोकन एवं शोध से संबंधित पुनरावृति किए गए साहित्य को शामिल किया गया हैl

एक साहित्य समीक्षा अनुसंधान के एक विशेष क्षेत्र के भीतर प्रासंगिक साहित्य की पहचान, मूल्यांकन और संश्लेषण करती है। यह बताता है कि क्षेत्र के भीतर ज्ञान कैसे विकसित हुआ है, जो पहले से ही किया जा चुका है, आम तौर पर क्या स्वीकार किया जाता है, क्या उभर रहा है और विषय पर सोच की वर्तमान स्थिति क्या है, इस पर प्रकाश डाला गया है।

एक **साहित्य समीक्षा** एक विशिष्ट विषय पर पहले प्रकाशित कार्यों का एक सिंहावलोकन है। यह शब्द एक पूर्ण विद्वतापूर्ण पेपर या विद्वानों के काम के एक **खंड** जैसे कि एक किताब, या एक लेख का उल्लेख कर सकता है । किसी भी तरह से, एक साहित्य समीक्षा शोधकर्ता/लेखक और दर्शकों को प्रश्नाधीन विषय पर मौजूदा ज्ञान की एक सामान्य छवि प्रदान करने वाली है। एक अच्छी साहित्य समीक्षा यह सुनिश्चित कर सकती है कि एक उचित शोध प्रश्न पूछा गया है और एक उचित सैद्धांतिक रूपरेखा और/या शोध पद्धति का चयन किया गया है। दूसरे शब्दों में, एक साहित्य समीक्षा प्रासंगिक साहित्य के शरीर के भीतर वर्तमान अध्ययन को स्थापित करने और पाठक के

लिए संदर्भ प्रदान करने का कार्य करती है। ऐसे मामले में, समीक्षा आमतौर पर कार्य की कार्यप्रणाली और परिणाम अनुभागों से पहले होती है।

एक साहित्य समीक्षा एक प्रकार का समीक्षा लेख हो सकता है । इस अर्थ में, एक साहित्य समीक्षा एक विद्वतापूर्ण पेपर है जो वर्तमान ज्ञान को प्रस्तुत करता है जिसमें मूल निष्कर्षों के साथ-साथ किसी विशेष विषय में सैद्धांतिक और पद्धतिगत योगदान शामिल हैं। साहित्य समीक्षा द्वितीयक स्रोत हैं और नए या मूल प्रयोगात्मक कार्य की रिपोर्ट नहीं करते हैं। अक्सर अकादमिक-उन्मुख साहित्य से जुड़े होते हैं, ऐसी समीक्षाएं अकादमिक पत्रिकाओं में पाई जाती हैं और उन्हें पुस्तक समीक्षाओं के साथ भ्रमित नहीं किया जाना चाहिए , जो एक ही प्रकाशन में भी दिखाई दे सकते हैं। साहित्य समीक्षा लगभग हर अकादमिक क्षेत्र में शोध का आधार है।

एक साहित्य समीक्षा के चार मुख्य उद्देश्य होते हैं:

- यह आपके अध्ययन के चुने हुए क्षेत्र में साहित्य का **सर्वेक्षण** करता है
- यह उस साहित्य में जानकारी को सारांश में **संश्लेषित** करता है
- यह वर्तमान ज्ञान में अंतराल की पहचान करके एकत्रित जानकारी का **गंभीर रूप से विश्लेषण** करता है; सिद्धांतों और दृष्टिकोणों की सीमाओं को दिखाकर; और आगे के अनुसंधान और विवाद के क्षेत्रों की समीक्षा के लिए क्षेत्रों को तैयार करके
- यह साहित्य को संगठित रूप में **प्रस्तुत करता है**

एक साहित्य समीक्षा आपके पाठकों को दिखाती है कि आपको अपने विषय की गहरी समझ है; और यह कि आप समझते हैं कि आपका अपना शोध कहां फिट बैठता है और सहमत ज्ञान के मौजूदा निकाय में जोड़ता है।

2.1.1-ट्रेवर्स के अनुसार :- "किसी भी क्षेत्र की समस्याओं एवं तथ्यों से परिचित होने के लिए उस विषय से सम्बन्धित साहित्य को पढ़ना आवश्यक होता है,

सम्बन्धित साहित्य की समस्याओं एवं तथ्यों के ज्ञान से शोधकर्त्ता विषय हेतु संगत तथा असंगत बातों की जानकारी प्राप्त करवाता है।

2.1.2-जॉन डब्ल्यू बेस्ट के अनुसार :- "सम्बन्धित साहित्य समस्त मानवीय पुस्तकों और पुस्तकालयों में उपलब्ध हो सकता है तथा जो जीवधारियों से भिन्न प्रत्येक नई पीढ़ी के साथ पुन: नए सिरे से कार्य प्रारम्भ करते हैं, मनुष्य अतीत से संचित व अद्योलिखित ज्ञान के आधार पर नवीन ज्ञान का सर्जन करते हैं।"

अत: उपरोक्त परिभाषाओं के आधार पर सम्बन्धित साहित्य से तात्पर्य उस साहित्य से होता है, जो उस शोध के लिए आधारशिला प्रदान कर दिशा प्रदान करता है।

समावेशी भारत राष्ट्रीय न्यास का एक प्रयास है जिसके तहत देश के बौद्धिक एवं विकासात्मक दिव्यांगता से प्रभावित व्यक्तियों को समाज की विभिन्न गतिविधियों में समाविष्ट कर समावेशी भारत का निर्माण संभव हो सके।

समावेशन शब्द का अर्थ विभिन्न संदर्भों तथा व्यक्तियों के लिए अलग अलग हो सकता है किंतु" समावेशी भारत पहल" का मुख्य लक्ष्य बौद्धिक एवं विकासात्मक विकलांगता से प्रभावित दिव्यांग जनों को समाज की सभी गतिविधियों में पूर्ण हिस्सेदार बना कर उन्हें आत्मनिर्भरता के साथ एक गरिमा पूर्ण जीवन जीने का अवसर प्रधान करना है।

इसका अर्थ है कि यह सभी दिव्यांगजन पूर्ण अधिकारों के साथ समाज की प्रत्येक गतिविधि में समान रूप से भाग ले सकें। अन्य व्यक्तियों के समान यह दिव्यांगजन भी अपने समर्थ एवं विशेषताओं के आधार पर अपनी पहचान बना सके। इसकी माध्यम से हम ऐसे समाज की ओर अग्रसर होंगे जहां विकलांगता से प्रभावित एवं विकलांगता रहित व्यक्ति समान रूप से समाज में रहकर उसकी प्रत्येक गतिविधि का हिस्सा बन सकेंगे।

संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा वर्ष 2006 में जारी घोषणा पत्र(UNCRPD) के लक्ष्यों के अनुसार या अभियान विकासात्मक एवं बौद्धिक दिव्यांगता से प्रभावित व्यक्तियों की विद्यालयों,

महाविद्यालयों, समाज तथा कार्य स्थलों में बराबर की भागीदारी के लक्ष्य को प्रभावित करता है।

उपरोक्त तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए भारत सरकार के सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग द्वारा सुगम्य भारत अभियान चलाया गया जिसकी शुरुआत भारत के प्रधानमंत्री द्वारा 3 दिसंबर 2015 को विकलांग व्यक्तियों अंतर्राष्ट्रीय दिवस पर की गई थी।

इस अभियान का मुख्य उद्देश्य देशभर में दिव्यांग जनों के लिए बाधारहित, सुखद एवं अनुकूल वातावरण तैयार करना है। सुगम्य भारत अभियान के प्रमुख घटक हैं:-

1) भौतिक वातावरण में सुगमता को बढ़ाना।
2) सार्वजनिक परिवहन की सुगमता तथा उपयोग में बढ़ोतरी।
3) सूचना तथा संचार सेवाओं की सुगमता और उपयोग में बढ़ोतरी।
4) दिव्यांगों के अधिकारों का संरक्षण।

विकलांग जन(समान अवसर, पर संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम 1995 की धारा 44, 45 एवं 46 के अंतर्गत क्रमशा: परिवहन, सड़क और निर्मित वातावरण से स्पष्ट तौर पर गैर भेदभाव का प्रावधान दिया गया है।

ध्यातव्य है कि विकलांग व्यक्तियों का अधिकार अधिनियम 2016, विकलांग व्यक्ति अधिनियम 1995 का संशोधित रूप है।

भारत, विकलांग व्यक्ति अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन का एक हस्ताक्षर करता देश है।UNCRPD का अनुच्छेद 9 सभी हस्ताक्षर करता सरकारों को विकलांग व्यक्तियों को अन्य व्यक्तियों की तरह ही समान आधार पर, भौतिक वातावरण, परिवहन सूचना तथा संचार में समुचित उपाय सुनिश्चित करने का दायित्व सप्ताह है। यह उपाय

जिनमें, सुगमता हेतु अवरोधों एवं बाधाओं की पहचान एवं उन्मूलन शामिल है, अन्य बातों के साथ-साथ निम्न पर लागू होंगे:

1) स्कूलों, आवासों, चिकित्सा सुविधाओं तथा कार्य स्थलों सहित, भवनों, सड़कों, और अन्य परिवहन और अन्य आंतरिक तथा बाहरी सुविधाएं
2) इलेक्ट्रॉनिक्स सेवाओं तथा आकाशमिक सेवाओं सहित सूचना ,संचार तथा अन्य सेवाएं।

भारत सरकार ने रिपब्लिक ऑफ कोरिया सरकार द्वारा आयोजित उच्च स्तरीय अंतर सरकारी बैठक में मंत्रालयि घोषणा और एशिया तथा प्रशांत क्षेत्र में विकलांग व्यक्तियों हेतु" अधिकारों को साकार करना" हेतु इंचिओन कार्य नीति को अपनाया है।

संयुक्त राष्ट्र पुनर्वास प्रमुख Kurt Jonson ने वर्ष 1957 में निरीक्षण में यह पाया कि विभिन्न देशों में उनकी कुल जनसंख्या का 12% से 13% या तो स्थाई या दीर्घकालीन विकलांगता से प्रभावित हैं। जिसके कारण उन्हें अनिवार्य रूप से विभिन्न स्तर पर विशेष सुविधाएं उपलब्ध कराई जाने की आवश्यकता है। ताकि वे अन्य के सामान अपना अस्तित्व बनाए रख सकें। सरकार एवं अधिकारिक स्तर पर दिव्यांग जनों के लिए उपयुक्त वातावरण श्रजन करने में न्यूनता पाई जा रही है। यद्यपि" सुगम्य भारत अभियान" अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में सफल नहीं हो सका है तथापि एक मार्गदर्शक के रूप में आशा की किरण का कार्य कर रही है। वर्तमान दस्तावेजों के आधार पर इस अभियान की उपलब्धियों एवं उद्देश्यों का समालोचनात्मक विश्लेषण करने एवं परखने की आवश्यकता है।

मैं इस अध्ययन द्वारा यह जानने का प्रयास कर रही हूं कि सरकार द्वारा उठाए गए कदम सुगम्य भारत अभियान की क्या संभावनाएं एवं इसके मार्ग में आने वाली चुनौतियां क्या है। इसके लिए मेरे द्वारा साहित्य पुनरावृति किए गए जो निम्नलिखित है:-

2.2-साहित्य पुनरावलोकन

2.2.1-(UNCRPD): वर्तमान कन्वेंशन का उद्देश्य विकलांग व्यक्तियों के सभी मानवाधिकारों और मौलिक स्वतंत्रता के पूर्ण और समान आनंद को बढ़ावा देना, उनकी रक्षा करना और सुनिश्चित करना है, और उनकी अंतर्निहित गरिमा के लिए सम्मान बढ़ावा देना है।

अनुच्छेद 9, . विकलांग व्यक्तियों को स्वतंत्र रूप से जीने और जीवन के सभी पहलुओं में पूरी तरह से भाग लेने के लिए सक्षम करने के लिए, राज्य पार्टियां विकलांग लोगों तक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए उचित उपाय करेंगी, दूसरों के साथ समान आधार पर, भौतिक वातावरण में, परिवहन के लिए, जानकारी के लिए। और संचार, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी और प्रणालियों सहित, और अन्य सुविधाओं और सेवाओं को शहरी या ग्रामीण क्षेत्रों में जनता के लिए खुला या प्रदान किया जाता है। इन उपायों, जिनमें पहचान और उपयोग की बाधाओं और बाधाओं को समाप्त करना शामिल है, अन्य बातों के साथ लागू होंगे।

2.2.2- मोगर(2019): इनके अध्ययन का शीर्षक" सुगम्य भारत अभियान की जागरूकता और प्रभाव पर एक सर्वेक्षण अध्ययन: चुनौतियां और अवसर" था।(A SURVEY STUDY ON AWARNESS AND IMPACT OF ACCESSIBLE INDIA CAMPAIGN:CHALLENGES AND OPPORTUNITIES)

इस अध्ययन का उद्देश्य सुगम्य भारत अभियान के जागरूकता स्तर का मूल्यांकन करना और प्रभाव को प्रदर्शित करना था।विकलांग व्यक्तियों को सक्षम करने के लिए पहुंच महत्वपूर्ण हैं क्योंकि जहां उन्हें सशक्त बनाता है और जीवन के लगभग सभी क्षेत्रों में समान अवसर प्राप्त करने में मदद करता है।

इस अध्ययन के लिए PWDs और PW/oDs की समान संख्या(50) सर्वेक्षण किया गया था।अध्ययन के उद्देश्य से एक अनुसंधान उपकरण विकसित किया गया था और इसी

का उपयोग अभियान की पहुंच, उसके मकसद और विकलांगता और समाज के साथ व्यक्तियों पर उसके प्रभाव के बारे में डाटा एकत्र करने के लिए किया गया था।

2.2.3- Mishra.Y, Chakraborty.N,Sengupta.D,Mishra. A(2020): इस अध्ययन का शीर्षक सुगम्य भारत अभियान" विकलांग व्यक्तियों के लिए एक आशा की किरण"- एक विश्लेषण।(ACCESSIBLE INDIA CAAMPAIGN "A SILVER LINING FOR THE PERSONS WITH DISABILITY"-AN ANALYSIS) लेख का उद्देश्य सुगम्य भारत अभियान के उद्देश्यों का विश्लेषण करना और उसकी उपलब्धियों और कमियों का आलोचनात्मक मूल्यांकन करना था। अनुसंधानकर्ता द्वारा सैद्धांतिक शोध पद्धति अपनाई गई थी।

इस अध्ययन का मुख्य निष्कर्ष यह था कि इस अभियान ने सरकारी भवनों को कवर करके अपने दायरे को सीमित कर लिया है।इसके अतिरिक्त सार्वजनिक शौचालय भी एक क्षेत्र है जहां दिव्यांग जनों के सुलभता की और ध्यान देने की आवश्यकता है।

2.2.4-Sinha.R,Wegish,Kar.A,Krishnan.S(2021): इस अध्ययन का शीर्षक" भारत में विकलांग व्यक्तियों के लिए पहुंच पर एक विश्लेषणात्मक अध्ययन"(AN ANALYTICAL STUDY FOR PERSONS WITH DISABILITY IN INDIA) इस अध्ययन का उद्देश्य समझना था कि विकलांग व्यक्तियों के लिए सुलभता के संबंध में क्या कानून है एवं विश्लेषण करना कि इसके लिए क्या सकारात्मक कदम उठाए गए हैं।

यह अनुसंधान मुख्यतः द्वितीयक स्रोतों पर निर्भर था। गुणात्मक एवं मात्रात्मक विधि का प्रयोग किया गया था। इस अध्ययन का निष्कर्ष यह था कि सरकार द्वारा उठाए गए कदमों के बावजूद दिव्यांग जनों के सुलभता के उद्देश्य को पूरा करने की ओर और ध्यान देने की